

इन्दिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, खैरागढ़ (छ.ग.)

// निविदा सूचना //

विश्वविद्यालय के संगीत संकाय के साउण्ड स्टुडियो हेतु कन्डेसर माईक क्रय करने हेतु राज्य के जी.एस.टी. विभाग में पंजीकृत अनुभवी व्यवसायी से निविदा आमंत्रित की जाती है। कार्य का विवरण, निविदा शर्त एवं प्रारूप निम्नानुसार है :-

S. No	Particulars	Quantity	सामग्री की कुल कीमत जी.एस.टी. टैक्स की राशि अलग से अंकित करें।
1.	AKG-C414XL II कन्डेसर माईक	1	

निविदा शर्त :-

1. कुलसचिव इन्दिरा कला संगीत वि.वि. खैरागढ़ में निविदा शुल्क के रूप में चेक राशि रु. 200.00 (दो सौ रुपये मात्र) दिनांक 17 मार्च 2021 तक वि.वि. में जमा करते हुए रसीद प्राप्त करना होगा।
2. विश्वविद्यालय के बेब साइड से डाउन लोड कर निर्धारित प्रारूप में निविदा भर कर कार्यालय कुलसचिव, इन्दिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, खैरागढ़ जिला राजनांदगांव के नाम से दिनांक 18 मार्च 2021 तक समय सायं 3:00 बजे तक जमा लिया जावेगा। उसी दिन सायं 4:00 बजे निविदा खोला जावेगा।
3. निर्धारित तिथि तथा समय के पश्चात् प्राप्त होने वाले निविदा मान्य नहीं की जावेगी।
4. निविदा की स्वीकृती एक वर्ष तक वैध होगी।
5. निविदा की प्रथम न्यूनतम दर स्वीकृत होने पर कार्य नहीं करने की स्थिति में द्वितीय न्यूनतम दर वाले से स्वीकृत दर पर कार्य कराने की कार्यवाही की जावेगी।
6. लिफाफे के ऊपर निविदा सामग्री का नाम लिखना होगा।
7. तकनीकी बीड अलग लिफाफा में एवं वीत्तीय बीड अलग लिफाफा में होना चाहिये।
8. कार्यादेश जारी होने के 20 दिवस के अन्तर्गत सामग्री विश्वविद्यालय में उपलब्ध कराना होगा।
9. सुरक्षा निधि की राशि 2000/- (दो हजार रुपये मात्र) के रूप में जमा करना होगा।
10. भुगतान की शर्त :- सामग्री सही पाये जाने पर देयक भुगतान की कार्यवाही की जावेगी।

(पी.एस.धुव)
कुलसचिव

इन्दिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, खैरागढ़

साउण्ड स्टुडियो हेतु कन्डेसर माईक क्रय करने हेतु निविदा प्रारूप

क.	निविदा जमा करने हेतु शर्त	प्रमाण स्वरूप निविदाकर्ता दस्तावेज की सत्यापित प्रति संलग्न करें।
1.	कुलसचिव इन्दिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, खैरागढ़ में निविदा शुल्क के रूप में डी.डी. राशि 200/- (रु. दो सौ मात्र) जमा करते हुए रसीद प्राप्त करना अनिवार्य है।	
2.	सुरक्षा निधि राशि 2,000.00 (रु. दो हजार मात्र) कुलसचिव इन्दिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, खैरागढ़ के नाम से डी.डी. तैयार करवाकर निविदा के साथ जमा किया जाना अनिवार्य है।	
3.	राज्य के जी.एस.टी. विभाग में पंजीयन प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।	
4.	वर्ष 2018-19 का जी.एस.टी. रिटर्न की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।	
5.	आयकर कार्यालय द्वारा आबंटित पेन नम्बर की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।	
6.	विगत 2 वर्ष का आयकर रिटर्न की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।	
7.	आधार नम्बर की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।	
8.	फर्म के बैंक खाता की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।	
9.	साउण्ड स्टुडियो हेतु कन्डेसर माईक का दर एकमुश्त अंकित करे तथा जी. एस.टी. टैक्स स्पष्ट करें।	

व्यवसायी/फर्म का हस्ताक्षर एवं सील